COURT FEE
भारत INDIA
दस रुपये TEN RUPEES
CANCELLED

आयुक्त कार्यालय सागर
से 126 29-9-14 को प्राप्त
29-9-14

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल बोर्ड ग्वालियर कैम्प, सागर

R-3469-I/14

B.O.R.
27 SEP 2014

रामकृष्ण उर्फ राकेश पिता केशरीसिंह

2. रविराज वल्द केशरीसिंह

दोनों निवासी महुआखेड़ा कलां तह० व जिला सागर

•• पुनरीक्षणकर्ता/अपरिदक्षता

138
27-9-14

॥ विरूद्ध॥

1. जितेन्द्र सींग पिता रघुवीरसिंह दांगी,
निवासी सरखेड़ी तह० व जिला सागर

2. भानुप्रताप पिता रघुवीर सींग दांगी
निवासी सामोनी मूल तह० व जिला सागर

3. भगवतशरण पिता स्व० प्रहलाद कुर्मी फौत वारसान- अ. श्रीमति कीर्ति ब. विशाल कुर्मी स. विकास द. मनेश उर्फ बन्नू पिता० भगवतशरण

4. चन्द्रकुमार पिता प्रहलाद कुर्मी

5. पार्वतीबाई उर्फ आरती पुत्री प्रहलाद सिंह कुर्मी

सभी निवासी ग्राम ताजपुर तह० व जिला सागर म.प्र.

6. म.प्र. शासन

••• पुनरीक्षणकर्ता /अनावेदकगण

निगरानीअंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा.सं.

1-10-14

पुनरीक्षणकर्ता का निम्नलिखित प्रार्थना करते है :-

1- यहकि, आवेदक/ पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा माननीय अधिनस्थ एस.डी.ओ. अपीलीय न्यायालय द्वारा राजस्व प्र०क्र० 19अ/6 वर्ष 13-14 प्रकरण - रामकृष्ण व अन्य विरूद्ध जितेन्द्र व अन्य में पारित आदेश दि० 28-07-14 से परिवेदित होकर विदित आधारों के अलावा अन्य विधि के आधारों पर न्याय हेतु यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान के समक्ष न्याय हेतु प्रस्तुत करते है ।

2- यहकि, माननीय अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दि० 28-07-14 विधि संगत, न्याय संगत ना होने से निरस्त ...

25

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3469–एक / 14 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.02.2015	आवेदक अधिवक्ता श्री शरदकुमार जैन व अनावेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । प्रकरण में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गई कि प्रथम अपील में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक को नियमानुसार द्वितीय अपील प्रस्तुत करनी थी जो आवेदक द्वारा न कर इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28–7–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की प्रथम अपील का अंतिम निराकरण किया गया है । नियमानुसार आवेदक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, जो उसके द्वारा प्रस्तुत न कर निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो नियमानुसार नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	